कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 3633 / रेनुकूट / 15–258 दिनांक, रेनुकूट,मई, 19 , ,2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पिपरी रेंज में नगर पंचायत रेनुकूट द्वारा जोकाही वन ब्लाक, मुर्धवा दक्षिणी बीट कम्पार्टमेन्ट नम्बर 14 अ में अस्पताल , विद्यालय, सामुदायिक भवन, पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकी एवं आर0ओ0 व शौचालय निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.9594 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं प्रभावित 65 वृक्षो के पातन की अनुमति संवंधी ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/DISP/49674/2020 प्रेषित किये जाने के संबंध में ।

संदर्भः– 1–इस कार्यालय का पत्र संख्या– 3012 / रेनुकूट / 15–258 दिनांक– 04.03.2021
2–आपका पत्रांक– 4201 / मी0क्षे0 / 33 दिनांक– 25.03.2021
3–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 2592 / 11–सी FP/UP/DISP/49674/2020 लखनऊ दिनांक– 08.04.2021
4–आपका पृष्ठांकन पत्र संख्या– 4326 / मी0 / 33 दिनांक– 08.04.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 08.04.2021 द्वारा इंगित की गयी कमियों का निराकरण कराते हुए निम्नानुसार संस्तुति सहित अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0 सं0	मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–2592 / 11–सीFP/UP/DISP/49674/2020 लखनऊ दिनांक– 08.04.2021 में अंकित बिन्दु	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु संलग्न सूची में व्यास वर्ग गलत अंकित किया गया है । अतः ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार सही व्यास वर्ग अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न करें एवं ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से पूर्व का डिलिट कर संशोधित अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में विभिन्न प्रजाति के कुल 65 वृक्ष प्रभावित हो रहे है जिसे ऑन लाईन भाग–2 के निर्धारित प्रारूप में संशोधित अंकित / अपलोड कराते हुए Additional Information Detail से पूर्व का डिलिट करा दिया गया है ।
2	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक– 343 / 11–सी, दिनांक– 14.08.2020 के क्रम मे प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण–पत्र न तो मूल में है और न ही मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है । अतः मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित	इस बिन्दु के अनुपालन में वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न है । ऑन लाईन भाग–2 के Additional Information Detail से पूर्व का डिलिट करा दिया गया है ।

	प्रमाण–पत्र मूल में संलग्न करें एवं ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से पूर्व का डिलिट कर संशोधित अपलोड करें ।	
3	प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक– 1428/11–सी दिनांक– 16.12.2020 के क्रम में डी0एस0एस0 एनालिसिस प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु प्रकरण मे 5 हे0 से कम अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण होने के कारण इसकी आवश्यकता नही है । अतः इसे प्रस्ताव से हटाते हुए ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से डिलिट करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से डिलिट करा दिया गया है ।
4	प्रस्ताव मे प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष 01 हे0 का ही मॉडल प्राक्कलन संलग्न किया गया है , जो कि अपूर्ण है । अतः पूर्ण प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक –13(I) में अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 10 वर्षीय मॉडल प्राक्कलन 10 हे0 का संलग्न किया गया है । संलग्न प्राक्कलन में 10 हे0 पर व्यय होने वाली वांछित धनराशि रू0 13,51,700/– तथा 01 हे0 पर व्यय होने वाली वांछित धनराशि रू0 1,35,170/– अंकित है तथा ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड किया गया है ।
5	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(iv) में अपलोड किया गया Soi Topoheet अपूर्ण है तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित भी नही है । अतः इसे डिलिट कर फुल साइज का Soi Topoheet जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित हो ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(iv) में अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि Soi Topoheet जो 100 प्रतिशत स्केल (फुल साइज) पर है तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित है उसकी प्रति प्रस्ताव में संलग्न है तथा **ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड किया गया है की प्रति संलग्न है** ।
6	ऑनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में रोजगार का विवरण भिन्न–भिन्न अंकित है । अतः एक समान सही विवरण अंकित करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि हार्डकापी भाग–1 में रोजगार का विवरण अंकित है उसी के अनुसार ऑनलाइन भाग–1 में अपलोड कराते हुए **संशोधित ऑनलाइन भाग–1 की प्रति संलग्न है** ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(एम0पी0सिंह)
वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या– अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपिः अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, रेनुकूट–सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एम0पी0सिंह)
वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट